दिनाँक 10/01/24 को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें राधा धोनी द्वारा वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने पर थाना पटेल नगर पुलिस द्वारा पंजीकत किया गया अभियोग।

दिनाँक 10/01/24 को राधा धोनी द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ आईएसबीटी हरिद्वार रोड पर स्थित अमन जनरल स्टोर नाम की दुकान को दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने तथा दुकान के बाहर हिन्दू धर्म के नाम का बोर्ड लगाकर दुकान में लगे हिंदू देवताओं के चित्रो पर आपत्ति जताते हुए दूसरे संप्रदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई तथा दुकान के बोर्ड तथा उसमें लगे धार्मिक चित्रो को जबरदस्ती हटा दिया गया। उक्त दुकान के स्वामी राकेश बोराई नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा उक्त दुकान को गिरीश पुत्र जयचंद निवासी रायपुर देहरादून को किराए पर दी गई थी, जिनके द्वारा दुकान के संचालन हेतु शाहनवाज पुत्र मोहम्मद अयूब खान निवासी मोहल्ला खाता खेड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को रखा गया था। दुकान स्वामी द्वारा उक्त दुकान को किराए पर देते समय किराएदार से दुकान के स्वरूप और दुकान के नाम को परिवर्तित न करने और न ही दुकान के अंदर रखी किसी अन्य वस्तु को हटाने की बात कही गई थी, परंतु दिनांक 09/01/24 को राधा धौनी द्वारा अपने साथियों के साथ दुकान पर आकर जबरदस्ती दुकान में लगे धार्मिक पोस्टर व दुकान के बोर्ड का हटा दिया तथा दूसरे संप्रदाय के लोगो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी, साथ ही उसका एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित करते हुए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया। उक्त संबंध में पुलिस द्वारा थाना पटेल नगर पर राधा धोनी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 25/24 धारा 153-A/295-A/ 505 (2) भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।